(14) The Provided Fund accounts maintained by Heads of Offices will be checked cent per cent by Audit during the local inspections of the offices.

3–अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष से राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के वित्तीय वर्ष 2001–02 से वित्तीय वर्ष 2008–09 के वर्षवार कुल जमा/आहरण एवं देय ब्याज के आंकड़े निम्नलिखित प्रारूप में निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जिसे निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 30–11–2009 तक उपलब्ध कराया जायेगा :–

क्रमांक	विभाग का नाम	कुल चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम आहरण/आंशिक प्रत्याहरण के बाद अवशेष जमा धनराशि	जमा धनराशि पर कुल देय ब्याज की धनराशि
1	2	3	4	5

इसके अतिरिक्त वर्षानुवर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के उक्त आंकड़े अनुवर्ती मई की 15 तारीख तक निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

4–निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को समस्त विभागों से प्राप्त ब्याज के उक्त आंकड़ों को समेकित कराकर प्रतिवर्ष 30 नवम्बर तक कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5–कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

बी० एन० दीक्षित
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या जी–2–1076(1)/दस–2009–307/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) श्री मदन लाल, उप महालेखाकार (निधि), कार्यालय महालेखाकार, (ले० एवं ह०) प्रथम को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या निधि–20/36, दिनांक 15–7–2009 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(5) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिक निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
हेमन्त कुमार सक्सेना,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 7 सा० वित्त–29–4–2010–(165)–3,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)

(14) The Provided Fund accounts maintained by Heads of Offices will be checked cent per cent by Audit during the local inspections of the offices.

3–अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत कार्यालयाध्यक्ष से राज्य के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के वित्तीय वर्ष 2001–02 से वित्तीय वर्ष 2008–09 के वर्षवार कुल जमा/आहरण एवं देय ब्याज के आंकड़े निम्नलिखित प्रारूप में निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे जिसे निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिनांक 30–11–2009 तक उपलब्ध कराया जायेगा :–

क्रमांक	विभाग का नाम	कुल चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की संख्या	वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम आहरण/आंशिक प्रत्याहरण के बाद अवशेष जमा धनराशि	जमा धनराशि पर कुल देय ब्याज की धनराशि
1	2	3	4	5

इसके अतिरिक्त वर्षानुवर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के उक्त आंकड़े अनुवर्ती मई की 15 तारीख तक निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

4–निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ को समस्त विभागों से प्राप्त ब्याज के उक्त आंकड़ों को समेकित कराकर प्रतिवर्ष 30 नवम्बर तक कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5–कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित, किया जाय।

भवदीय,

बी० एन० दीक्षित
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या जी–2–1076(1)/दस–2009–307/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) श्री मदन लाल, उप महालेखाकार (निधि), कार्यालय महालेखाकार, (ले० एवं ह०) प्रथम को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या निधि–20/36, दिनांक 15–7–2009 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(5) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिक निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
हेमन्त कुमार सक्सेना,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 7 सा० वित्त–29–4–2010–(165)–3,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)